राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 145/2015

जीत सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. उप शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान प्रमुख वन संरक्षक, वन भवन, राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर, पो.5ए।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अजयराज टाटिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवावधि 36 वर्ष हो चुकी है। अभी तक अपीलार्थी का नियमितिकरण नहीं किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को उसकी सेवा नियमित करने हेतु अनेक बार निवेदन किया। प्रत्यर्थी संख्या 03 के द्वारा अपीलार्थी की सेवा नियमित करने हेतु वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रत्यर्थी संख्या 02 को पत्र क्रमांक 5330 दिनांक 13.08.10 से भेजी गई। प्रत्यर्थी संख्या 03 ने पुनः वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मुख्य वन सरंक्षक इ.गा.न.प. बीकानेर तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 से पत्र दिनांक 26.03.2012 से भेजी। लेकिन अपीलार्थी को आज दिनांक तक नियमित नहीं किया गया।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सूचना कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 12/10/2013 एंव दिनांक 05/06/2014 द्वारा उच्च कार्यालय को भिजवाई जाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 21/10/2014 द्वारा अवगत कराया गया कि अति०मुख्य सचिव वन विभाग जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 09/04/2014 को अयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग द्वारा न्यायालयों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अनियमित रूप से नियुक्त लोक सेवकों को नियमित किये जाने हेतु

नया प्रपत्र कार्मिक विभाग से परीक्षण करवाकर शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। नया परिपत्र जारी होने के उपरान्त ही परीक्षण कर कार्यवाही की जा सकेगी। अपीलार्थी के द्वारा जो अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालयों का हवाला दिया गया है, उसका परीक्षण कार्मिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगर कार्मिक विभाग व वित्त विभाग अनुमति देता है तो अपीलार्थी का नियमितिकरण कर दिया जावेगा। इस प्रकार अपीलार्थी को 09 एवं 18 वर्ष का चयनित वेतनमान दिया जा चुका है। 27 वर्ष का नियमितकरण होने के उपरान्त देय होगा।

3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 4276/2008 रेशमा बाला बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> "After hearing the learned counsel for the parties and after perusing the record, this Court finds that the petitioner has been serving the respondents for 26 long years since 6.3.1992. We have also perused the precedent law holding the field in Uma Devi's case (supra). Since the petitioner has been serving for so long without intervention of the Court, therefore, this Court deems it appropriate to dispose of the present writ petition with a direction to the respondents to consider the case of the petitioner for regularisation from the date of filing the writ petition i.e. 07.07.2008 in light of precedent law in Uma Devi's case (supra). Such consideration shall be made within a period of 30 three months from today. The consideration shall include the benefits of annual grade increments, selection scale and all other service benefits arising from the date of regularisation i.e. 07.07.2008. The orders dated 27.06.2008 (Annex.5) and 3.7.2008 (Annex. 6) are quashed and set aside."

4. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी लगातार सेवा में है। अपीलार्थी को नियमित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग ने यह जवाब प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में परीक्षण कार्मिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इस अपील को प्रस्तुत हुए करीब 9 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कार्मिक विभाग ने क्या निर्णय लिया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वह अपील के आधारों को दृष्टिगत रखते हुए व उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर अपीलार्थी के नियमितिकरण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की

अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आधार पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 4276/2008 रेशमा बाला बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)